

न्यायालय सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 68/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र केसाराम		1. श्रीमती वनी बेवा केसारामजी.....फौत
2. मालाराम पुत्र हरीराम		2. छगनाराम पुत्र केसाराम
3. ललित पुत्र हरीरामजी		3. रमेशकुमार पुत्र केसारामजी समस्त जातियान मेघवाल निवासी मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर
4. श्रीमति जेठी बेवा स्व. हरीरामजी जातियान मेघवाल निवासीयान मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर		4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
		5. हीराबेन
		6. मूलीबेन

अन्तर्गत धारा 53, 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री अमृत कटारीया अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मोहनलाल विश्णोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण।
3. प्रतिवादी 4 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 08.02.2024

1. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 18.01.2021 को मौजा मालवाडा की खातेदारी आराजी खेत खसरा नंबर 706, 709, 710, 711, 715 रकबा क्रमशः 0.28, 0.010, 0.020, 3.83, 0.71 हेक्टेयर की आराजी में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को उक्त आराजी में से उनके अनुसार खातेदारी हको की घोषणा की जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के आधार पर बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/392 दिनांक 16.4.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व कोर्ट/2021/712 दिनांक 06.08.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।
2. तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन करने व उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस के तथ्यों पर मनन करने पर हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।



क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्ट0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	मालाराम पुत्र हरीराम, ललितकुमार पुत्र हरीराम, जेठीदेवी पत्नि हरीराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	706	0.28	0.17	चा. प्र.	आस मानी	6.29
		711	3.83	0.41	जा. प्र.		3.69
		715	0.71	0.10	बा. सो		0.20
2.	छगनाराम पुत्र केसाराम, खेताराम पुत्र केसाराम, रमेशकुमार पुत्र केसाराम, हीराबेन पुत्री केसाराम, मूलीबेन पुत्री केसाराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	706	0.28	0.11	चा. प्र.	केस रिया	4.07
		709	0.01	0.01	गै.मू.बेरा		—
		710	0.02	0.02	गै.मूसडा		—
		711	3.83	3.35	चा.प./ जा. प्र.		110.51
		715	0.71	0.60	बा. सो.		1.20
3	मालाराम पुत्र हरीराम, ललितकुमार पुत्र हरीराम, जेठीदेवी पत्नी हरीराम, छगनाराम पुत्र केसाराम, खेताराम पुत्र केसाराम, हीराबेन पुत्री केसाराम, मूलीबेन पुत्री केसाराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	711	3.83	0.07	जा. प्र.	काला	
		715	0.71	0.01	बा. सो.		

3. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीयों नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला—सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2024 को सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला—सांचौर

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला सांचौर
पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ राम , आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. खेताराम पुत्र केसाराम 2. मालाराम पुत्र हरीराम 3. ललित पुत्र हरीरामजी 4. श्रीमति जेठी बेवा स्व. हरीरामजी जातियान मेघवाल निवासीयान मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर		1. श्रीमती वनी बेवा केसारामजी.....फौत 2. छगनाराम पुत्र केसाराम 3. रमेशकुमार पुत्र केसारामजी समस्त जातियान मेघवाल निवासी मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला सांचौर 4. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 5. हीराबेन 6. मूलीबेन

अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 68/2012

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादीगण की ओर से वकील श्री अमृत कटारिया, प्रतिवादीगण की ओर से श्री मोहनलाल विश्नोई व प्रतिवादी संख्या 4 राजपेरोकार उपस्थित । मनजानिव मुद्रायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तहसीलदार रानीवाडा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्टे0 में	किस्म	नक्शा ट्रेष में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
4.	मालाराम पुत्र हरीराम, ललितकुमार पुत्र हरीराम, जेठीदेवी पत्नि हरीराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	706	0.28	0.17	चा. प्र.	आस मानी	6.29
		711	3.83	0.41	जा. प्र.		3.69
		715	0.71	0.10	बा. सो		0.20
5.	छगनाराम पुत्र केसाराम, खेताराम पुत्र केसाराम, रमेशकुमार पुत्र केसाराम, हीराबेन पुत्री केसाराम, मूलीबेन पुत्री केसाराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	706	0.28	0.11	चा. प्र.	केस रिया	4.07
		709	0.01	0.01	गै.मू.बेरा		—
		710	0.02	0.02	गै.मूसडा		—
		711	3.83	3.35	चा.प./ जा. प्र.		110.51
		715	0.71	0.60	बा. सो.		1.20

3	मालाराम पुत्र हरीराम, ललितकुमार पुत्र हरीराम, जेठीदेवी पत्नी हरीराम, छगनाराम पुत्र केसाराम, खेताराम पुत्र केसाराम, हीराबेन पुत्री केसाराम, मूलीबेन पुत्री केसाराम जाति मेगवंशी सा. मालवाडा खातेदार	711	3.83	0.07	जा. प्र.	काला	0.63
	715	0.71	0.01	बा. सो.	0.02		

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.02.2024 को जारी की गई।

(भागीरथ राम)

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला-सांचौर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दई	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	3	00	स्टाम्प वकालतनामा	3	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	1	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	1	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	4	00	मौजाना	5	00